

बिहार सरकार
कृषि विभाग।

पत्र सं0:- पी0पी0एम0-78 / 2016-

३९८१ / कृ०, पटना दिनांक ११/१०/ 2017

शुद्धि पत्र

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या—पी0पी0एम0-78 / 2016-3495 दिनांक 01.09.2017 की कंडिका-13 को निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है,

पूर्व प्रस्ताव	संशोधित प्रस्ताव
निदेशक उद्यान, बिहार, पटना योजनान्तर्गत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। निदेशक उद्यान, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से राशि की निकासी कर बिहार हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट सोसाईटी, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा।	निदेशक उद्यान, बिहार, पटना योजनान्तर्गत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। निदेशक उद्यान, बिहार, पटना द्वारा राशि की निकासी बी0टी0सी0-46 पर सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी तथा बिहार हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट सोसाईटी, पटना के पी0एल0ए० खाता संख्या-291 में आंतरित की जायेगी।

2. अन्य सभी शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।
3. प्रस्ताव में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

पूर्व प्रस्ताव
११.१०.२०१८

(सुधीर कुमार)
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- पी0पी0एम0-78 / 2016 ३९८१ / कृ०, पटना, दिनांक ११/१० 2017

प्रतिलिपि:- योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव
११.१०.२०१८

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- पी0पी0एम0-78 / 2016 ३९८१ / कृ०, पटना, दिनांक ११/१० 2017

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव
११.१०.२०१८

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- पी0पी0एम0-78 / 2016 ३९८१ / कृ०, पटना, दिनांक ११/१० 2017

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव, बिहार, पटना/कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव, बिहार, पटना/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/बजट एवं योजना शाखा, सचिवालय कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा उपर कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना को विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव
११.१०.२०१८

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।